10.06.24

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी श्री ओम प्रकाश दवे उपस्थित। अप्रार्थी राज पैरोकार उपस्थित। प्रार्थी व सहखातेदारान् के बयान यथा AW1 कालूराम पुत्र सवाराम, AW2 कृष्ण पुत्र सवाराम, AW3 राजाराम पुत्र परताराम के बयान कलम बद्ध करवा दस्तावेज प्रदर्श करवाए। उभय पक्ष वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी श्री ओम दवे ने बहस में प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए दलील दी कि प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम कालूराम पुत्र सवाजी गरासिया है परंतु प्रार्थी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही ...
3	द्वारा सहखातेदारी में धारित की जा रही भूमि ग्राम चिंगराभाठा पटवार मण्डल कोयलबाव की खसरा नं. 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, कुल खसरा-11 कुल क्षेत्रफल 2.83 हेक्टेयर में प्रार्थी का नाम कालाराम पुत्र सवा त्रुटिपूर्ण दर्ज होने से प्रस्तुत मौखिक साक्ष्यों गवाह AW1 लगायत AW3 जो कि वादग्रस्त भूमि में बतौर सहखातेदार दर्ज है, के द्वारा दिए स्वीकारोक्ति के बयानों के आधार पर प्रार्थी का सही नाम प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्यों जन आधार कार्ड, आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, निर्वाचन आयोग का पहचान पत्र में दर्ज सही नाम कालूराम पुत्र सवाराम हिस्सानुसार वादग्रस्त भूमि में बतौर सहखातेदार दर्ज किए जाने की दलील दी। उपस्थित राज पैरोकार ने भी इसका खण्डन नहीं किया। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व उभय पक्ष वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात प्रार्थना पत्र प्रार्थी धारा 136 L.R.A 1956 स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त भूमि ग्राम चिंगराभाठा के खसरा नं. 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2293

Scanned with CamScanner

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
	2294, 2295, 2296, 2297, 2298, कुल खसरा - 11 कुल क्षेत्रफल 2.83 हेक्टेयर में दर्ज प्रार्थी के त्रुटिपूर्ण नाम कालाराम पुत्र सवा के स्थान पर सही व शुद्ध नाम कालूराम पुत्र सवाराम गरासिया हिस्सानुसार दुरस्ती के जरिए दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते है। रिकार्ड में दर्ज शेष इन्द्राज बदस्तूर कायम रखें जावें। आदेश प्रति तहसीलदार बाली व पटवारी हल्का कोयलवाव को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।	

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली